

न्यायालय— महेन्द्रपाल सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

कमांक / 2023

अशोकनगर दिनांक

// विविध आदेश //

जिला मुख्यालय अशोकनगर

सार्वजनिक अवकाशों को ध्यान में रखते हुए तथा मजिस्ट्रेटगण के अवकाश पर रहने की चर्चा अनुसार माह **अक्टूबर-नवम्बर-दिसम्बर 2023** के सार्वजनिक अवकाशों में दांडिक मामलों के अतिआवश्यक कार्य संपादन हेतु निम्नलिखित मजिस्ट्रेटगण को उनके नाम के समक्ष नियत तिथि पर कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। दांडिक मामलों के अतिआवश्यक कार्य संपादन हेतु निम्नलिखित मजिस्ट्रेटगण की उनके नाम के समक्ष नियत तिथि पर रिमाण्ड ड्यूटी लगाई जाती है। उक्त मजिस्ट्रेटगण नियत तिथि पर दोपहर 03.00 बजे से 05.00 बजे तक अपने न्यायालय कक्ष में उपस्थित होकर रिमाण्ड ड्यूटी करेंगे।

क	अधिकारी का नाम	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
1	श्रीमती दुर्गा सोलंकी, जे.एम.एफ.सी.	—	26, 27	16, 17
2	श्रीमती पूनम कटारिया, जे.एम.एफ.सी.	15	5, 18, 19	
3	श्री तनवीर खान, जे.एम.एफ.सी.	—	10, 11, 12, 13, 14, 15	—
4	श्रीमती बबीता प्रजापत, जे.एम.एफ.सी.	21, 22, 23, 29	—	
5	श्री अखिलेश चाण्डक, जे.एम.एफ.सी.	8, 24	—	3, 10
6	सुश्री दिशा यादव, जे.एम.एफ.सी.	1, 2	—	—

- नोट** 1. मजिस्ट्रेटगण आवश्यक होने पर आपस में सहमति के आधार पर एक-दूसरे की रिमाण्ड ड्यूटी कर सकेंगे, लेकिन ऐसी सहमति और ड्यूटी बदलने की लिखित सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को देना होगी।
2. यदि अवकाश दिनांक के पश्चात् आने वाले आगामी कार्यदिवस को अचानक कोई अवकाश घोषित किया जाता है, तो ऐसे दिवस में उस मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जावेगी, जिस मजिस्ट्रेट द्वारा बीते दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी की गई है।
3. यदि कोई मजिस्ट्रेट नियत रिमाण्ड ड्यूटी के दिन अपरिहार्य कारणों से मुख्यालय के बाहर रहता है या मुख्यालय पर होते हुए भी अपरिहार्य कारणों से रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ है तो उस दिन की रिमाण्ड ड्यूटी उस मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी, जिसने ठीक पूर्ववर्ती दिनांक पर रिमाण्ड ड्यूटी की थी।

महेन्द्रपाल सिंह 30/09/23
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 जिला-अशोकनगर म.प्र.

पृष्ठांकन कमांक **830** / 2023

अशोकनगर दिनांक **30/09/23**

प्रतिलिपि :-

- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, अशोकनगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- श्रीमती दुर्गा सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- श्रीमती पूनम कटारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- श्री तनवीर खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- श्रीमती बबीता प्रजापत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- श्री अखिलेश चाण्डक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- श्रीमती दिशा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- श्रीमती, अर्चना रघुवंशी, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड अशोकनगर म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- पुलिस अधीक्षक, अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
- प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ अशोकनगर, ईसागढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, अशोकनगर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त संबंधित को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करें।

महेन्द्रपाल सिंह 30/9/23
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

न्यायालय— महेन्द्रपाल सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

क्रमांक / 2023


अशोकनगर दिनांक

// विविध आदेश //
तहसील मुख्यालय मुंगावली

सार्वजनिक अवकाशों को ध्यान में रखते हुए तथा मजिस्ट्रेटगण के अवकाश पर रहने की चर्चा अनुसार माह **अक्टूबर—नवम्बर—दिसम्बर 2023** के सार्वजनिक अवकाशों में दांडिक मामलों के अतिआवश्यक कार्य संपादन हेतु निम्नलिखित मजिस्ट्रेटगण को उनके नाम के समक्ष नियत तिथि पर कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। दांडिक मामलों के अतिआवश्यक कार्य संपादन हेतु निम्नलिखित मजिस्ट्रेटगण की उनके नाम के समक्ष नियत तिथि पर रिमाण्ड ड्यूटी लगाई जाती है। उक्त मजिस्ट्रेटगण नियत तिथि पर दोपहर 03.00 बजे से 05.00 बजे तक अपने न्यायालय कक्ष में उपस्थित होकर रिमाण्ड ड्यूटी करेंगे।

क्र.	अधिकारी का नाम	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
1	श्री दीनानाथ वाडिवा, जे.एम.एफ.सी.	08, 15, 29	18, 19	03, 10
2	श्रीमती रिनी खान शेख, जे.एम.एफ.सी.	21, 22, 23, 24	05, 26, 27	16, 17
3	श्री कर्नलसिंह श्याम, जे.एम.एफ.सी.	01, 02	10, 11, 12, 13, 14, 15	—

- नोट 1. मजिस्ट्रेटगण आवश्यक होने पर आपस में सहमति के आधार पर एक-दूसरे की रिमाण्ड ड्यूटी कर सकेंगे, लेकिन ऐसी सहमति और ड्यूटी बदलने की लिखित सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को देना होगी।
2. यदि अवकाश दिनांक के पश्चात् आने वाले आगामी कार्यदिवस को अचानक कोई अवकाश घोषित किया जाता है, तो ऐसे दिवस में उस मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जावेगी, जिस मजिस्ट्रेट द्वारा बीते दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी की गई है।
3. यदि कोई मजिस्ट्रेट नियत रिमाण्ड ड्यूटी के दिन अपरिहार्य कारणों से मुख्यालय के बाहर रहता है या मुख्यालय पर होते हुए भी अपरिहार्य कारणों से रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ है तो उस दिन की रिमाण्ड ड्यूटी उस मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी, जिसने ठीक पूर्ववर्ती दिनांक पर रिमाण्ड ड्यूटी की थी।



महेन्द्र पाल सिंह
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला—अशोकनगर म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक **831** / 2023

अशोकनगर दिनांक **30/09/23**

प्रतिलिपि :-

- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया, अशोकनगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- श्री दीनानाथ वाडिवा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुंगावली की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- श्री कर्नल सिंह श्याम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुंगावली की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- श्रीमती रिनी खान शेख, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुंगावली की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- थाना प्रभारी, थाना मुंगावली की ओर सूचनार्थ।
- प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ मुंगावली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, अशोकनगर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति संबंधित को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करें।


महेन्द्र पाल सिंह
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला—अशोकनगर म.प्र.

न्यायालय— महेन्द्रपाल सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

क्रमांक/2023


अशोकनगर दिनांक

//विधि आदेश//
तहसील मुख्यालय चंदेरी

सार्वजनिक अवकाशों को ध्यान में रखते हुए तथा मजिस्ट्रेटगण के अवकाश पर रहने की चर्चा अनुसार **अक्टूबर-नवम्बर-दिसम्बर 2023** के सार्वजनिक अवकाशों में दांडिक मामलों के अतिआवश्यक कार्य संपादन हेतु निम्नलिखित मजिस्ट्रेटगण को उनके नाम के समक्ष नियत तिथि पर कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। दांडिक मामलों के अतिआवश्यक कार्य संपादन हेतु निम्नलिखित मजिस्ट्रेटगण की उनके नाम के समक्ष नियत तिथि पर रिमाण्ड ड्यूटी लगाई जाती है। उक्त मजिस्ट्रेटगण नियत तिथि पर दोपहर 03.00 बजे से 05.00 बजे तक अपने न्यायालय कक्ष में उपस्थित होकर रिमाण्ड ड्यूटी करेंगे।

क्र.	अधिकारी का नाम	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
1	श्रीमती रितिका मिश्रा (पाठक), जे.एम.एफ.सी.	8, 15, 21, 29	5, 15, 18, 19, 26, 27	3, 10, 17
2	श्री अंशुल जैन, जे.एम.एफ.सी.	1, 2, 22, 23, 24	10, 11, 12, 13, 14	16, 17, 24, 25

- नोट** 1. मजिस्ट्रेटगण आवश्यक होने पर आपस में सहमति के आधार पर एक-दूसरे की रिमाण्ड ड्यूटी कर सकेंगे, लेकिन ऐसी सहमति और ड्यूटी बदलने की लिखित सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को देना होगी।
2. यदि अवकाश दिनांक के पश्चात् आने वाले आगामी कार्य दिवस को अचानक कोई अवकाश घोषित किया जाता है, तो ऐसे दिवस में उस मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जावेगी, जिस मजिस्ट्रेट द्वारा बीते दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी की गई है।
3. यदि कोई मजिस्ट्रेट नियत रिमाण्ड ड्यूटी के दिन अपरिहार्य कारणों से मुख्यालय के बाहर रहता है या मुख्यालय पर होते हुए भी अपरिहार्य कारणों से रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ है तो उस दिन की रिमाण्ड ड्यूटी उस मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी, जिसने ठीक पूर्ववर्ती दिनांक पर रिमाण्ड ड्यूटी की थी।



महेन्द्र पाल सिंह
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-अशोकनगर म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक 832 /2023

अशोकनगर दिनांक 30/09/23

प्रतिलिपि :-

- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया, अशोकनगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- श्रीमती रितिका मिश्रा (पाठक), न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंदेरी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- श्री अंशुल जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंदेरी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- थाना प्रभारी, थाना चंदेरी की ओर सूचनार्थ।
- प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ चंदेरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, अशोकनगर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति संबंधित को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करें।


महेन्द्र पाल सिंह
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-अशोकनगर म.प्र.